NOTICE

From,

Mr.Saket Tiwary, Phone No. :8051594353
Advocate for the petitioner.
Patna High Court, Patna

To,

The Advocate General.
Patna High Court.

C.W.J.C .... OF 2014

Nitesh Kumar .... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar and Others ....**Respondents.**

Please take notice that the above mentioned application is going to be filed, a copy of which is being served upon you for your use and information.

Kindly acknowledge the receipt.

Received a copy of ... Petition AAh-14 ... Shri. Kaushal Kr. Jha will appear on behalf of the state
22/9/14
Section Officer Writ Section Advocate General Office Patna High Court, Patna

Saket Tiwary
(SAKET TIWARY)
Advocate
AOR No.00542
Date:

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C ……………... OF 2014

Nitesh Kumar ……… **Petitioner**

Versus

The State of Bihar and Others …………**Respondents**

Sub. : Public Demand recovery Act

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1	An Application Article 226 of the Constitution of India with Affidavit	1-10
2	Annexure-1 : A copy of Memo No. 588-2 dated 08.12.2011	11-13
3	Annexure-2 : A copy of the Letters written by the Block Agriculture cum Supervising Officer paddy procurement Center Shankarpur	14-19
	Annexure-3 : A photo copy of Memo No. 287 dated	20

	12.01.2013	
5	Annexure-4 : A copy of the reply to show cause notice	21
6	Annexure-5 : A copy of Memo No 1671 dated 14.02.2013	22
7	Annexure-6 : A copy of the notice issued in Certificate Case No. 29/2013-14	23
8	Vakalatnama	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C .... OF 2014

Nitesh Kumar .... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar and Others ....**Respondents**

Sub. : Public Demand Recovery Act

SYNOPSIS

The petitioner was working as Executive Assistant with the State Food Corporation. The petitioner has been held responsible for loss of paddy and certificate case has been instituted against him. The procurement center in which the petitioner was working did not had adequate storing facility and thus it The paddy was stored in open

Due to lack of storage facility the alleged loss accrued for which the petitioner has been held liable.

LIST OF DATES

14.12.2011- petitioner joined Shankarpur procurement Centre as Executive Assistant.

12.1.2013- Petitioner served Show cause Notice.

7.2.2013- Petitioner replied to the Show cause.

13.11.2013- Notice issued in certificate case.

Hence this writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C .... OF 2014

In the matter of Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of

Nitesh Kumar, Son of Shatrughan Prasad, Resident- Ward No. 16 near Children park, P.O.- Madhepura, P.S.- Madhepura, District- Madhepura.

.... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Prinicipal Secretary, Department of Food and Civil Supplies,New Secretariat, Madhepura.
2. The Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited, Patna.
3. The Managing Director, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Limited, Patna.
4. The District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Limited, Madhepura.
5. The District Magistrate, Madhepura.

6. The Block Agricultural Officer cum Supervising Officer, Paddy Purchase Centre, Shankarpur.
7. The Certificate Officer-cum-senior Deputy Collector, Madhepura.

...........Respondents

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The Humble petition on behalf of the petitioner above named

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That this humble application for quashing the Certificate Case No. 29/2013-14 pending before the District Certificate Officer, Madhepura.
2. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court seeking the same relief on any earlier occasion.
3. That the Petitioner is Citizen of India and resides in the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That the petitioner was appointed as Executive Assistant on contractual basis with the Bihar State Food & Civil Supplies Corporation vide order contained in Memo No. 588-2 dated

08.12.2011 and the petitioner joined the procurement centre Shankarpur on 14.12.2011.

A copy of Memo No. 588-2 dated 08.12.2011 is annexed herewith and Marked as **Annexure-1** to this application.

5. That the scope of work of the Petitioner, as an Executive Assistant was to collate data, record data in computer, prepare reports and was responsible for sending data to Head Office.
6. That the State Food Corporation procured paddy and used to send it for milling.
7. That the Petitioner was posted at Shankarpur Purchase Centre.
8. That since at Shankarpur procurement center there was no permanent godown so a two room building of convent school was hired to store the purchased paddy.
9. That the purchase centre did not had enough space to store the paddy that was being received.
10. That the roof of the store was of tin and the makeshift godown had a capacity to store only 650 quintals of paddy.
11. That the floor was not of concrete and had seepage.

12. That though the storage capacity of the godown was only of 650 quintal but in order to achieve the target of purchase of 15000 quintals of paddy the administration ignored the storage capacity and directed to keep on purchasing paddy.

13. That to meet the target of purchase of 15000 quintal of paddy 11574.15 quintal of paddy was purchased from farmers and 3923.62 quintals of paddy was purchased through PACS.

14. That as earlier stated there was no adequate storage space so the paddy was kept in open, covered with plastic sheet.

15. That the paddy was exposed to the rigours of nature and rodents.

16. That the Block Agriculture cum Supervising Officer, paddy procurement Center Shankarpur, wrote numerous letters to the Managing Director of the respondent Bihar State Food & Civil Supply Corporation informing him about the pathetic condition of the procurement centre with a request to arrange for proper storage and also informed the authorities the implication of not storing the paddy properly.

A copy of the Letters written by the Block Agriculture cum Supervising Officer paddy procurement Center Shankarpur

is annexed herewith and Marked as **Annexure- 2** series to this application.

17. That due to lack of adequate storing facility the paddy started perishing and was partly destroyed.

18. That out of 15497.77 quintal of paddy purchased 14152.73 quintal paddy was lifted by the millers and rest 1345.04 quintal of paddy in respective bags are lying in the godown of the Shankarpur Government Centre. It is pertinent to mention here that all such bags of paddy that where in contact of the floor of the godown or such bags of food grain which was stored in open and where in contact with soil are badly damaged.

19. That the petitioner received a show cause notice from Deputy Chief claims Headquarter, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. contained in Memo No. 287 dated 12.01.2013 alleging that a total quantity of 1345.04 quintal of paddy has been found less in the Shankarpur Procurement Centre and a reply to the show cause was sought from the petitioner alleging defalcation of big damage of 1345.04 quintal of paddy.

A photo copy of Memo No. 287 dated 12.01.2013 is

annexed herewith and Marked as **Annexure- 3** to this application.

20. That the Petitioner replied to the show cause notice explaining the entire facts and asserted that there has been no defalcation and 1345.04 quintal of paddy is available in the godown in partially damaged condition.

A copy of the reply to show cause notice is annexed herewith and Marked as **Annexure-4** to this application.

21. That it is noteworthy that Deputy Chief, claim, Headquarter Bihar State Food & Civil Supplies Corporation through Memo No. 1671 dated 14.02.2013 also wrote to the In-charge Assistant District Manager Bihar State Food & Civil Supplies Corporation, Madhepura referring to the annexure 2 series and sought explanation as to why there was delay in distributing the paddy due to which damage was caused to the paddy stored at the Shankarpur Procurement Centre.

A copy of Memo No 1671 dated 14.02.2013 is annexed herewith and Marked as

Annexure- 5 to this application.

22. That the petitioner is merely an assistant and it was not his duty or within his scope of work to arrange for a godown. Whatever loss has been cause was due to inadequate storing facility which was time and again brought to the notice of authorities by the Block Agricultural Officer cum Supervising Officer, Shankarpur.

23. That the Petitioner received a notice from the District Certificate Officer, Madhepura informing him that Certificate Case No. 29/2013-14 has been instituted against him for realization of Rs. 3,77,097/- (Rupees Three Lac Seventy Seven Thousand Ninety Seven Only).

A copy of the notice issued in Certificate Case No. 29/2013-14 is annexed herewith and Marked as **Annexure- 6** to this application.

24. That it is humbly submitted that the petitioner was working for the Bihar State Food & Civil Supplies Corporation as Executive Assistant and was not into any kind of trade with it.

25. That the demand raised by the Respondent Bihar State Food & Civil Supplies Corporation is erroneous and unlawful.

26. That the demand raised by the Respondent Bihar State Food & Civil Supplies Corporation is not a public demand thus the Respondents could not have taken recourse to the Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.

27. That there was no agreement between the petitioner and the respondent Bihar State Food & Civil Supplies Corporation to recover any due amount through the Public Demand Recovery Laws.

28. That it is surprising that no any show cause or proceeding has been initiated against the Incharge of the purchase centre in which the petitioner was working.

29. That the impugned action of the respondent is arbitrary.

30. That the demand does not fall in any of the schedules of Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.

31. That the petitioner has got no other equally efficacious remedy than to move before this Hon'ble Court invoking its extra ordinary jurisdiction.

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application issue Rule calling upon the Respondent authorities as to why the relief prayed

in Para 1 of this application may not be granted to the Petitioner and after return of the Rule cause being shown and after hearing the parties the Rule may be made absolute by allowing this writ application

AND / OR

During pendency of this writ application stay the further proceedings of the certificate case No. 2-/2013-14 pending before the District Certificate Officer, Madhepura.

And

May pass such order/orders as your Lordship may deem fit and proper.

And for this, the Petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Nitesh Kumar, aged about 28 years, Son of Shatrughan Prasad, Resident- Ward No. 16 near Children park, P.O.- Madhepura, P.S.- Madhepura, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am the Petitioner in this application and such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the content of the Petition has been read over and explain to me in Hindi which I have fully understood.
3. That the statements made in Paragraph 1-23 are true to my knowledge and those made in Paragraph 24-32 are correct to my information as derived from the records of the case and rest are by way of submissions made before this Hon'ble Court.
4. That the Annexure are True Copies/Photo Copies of their respective originals.

Annexure-I (11)

समाहरणालय मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

आदेश

अपर निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्र सं0– 250 दिनांक 02 05.11, पत्रांक 309, दिनांक 20.5.11, पत्रांक 272 दिनांक, 09.05.11 पत्रांक 407 दिनांक 20.06.11 एवं पत्रांक 879 दिनांक 11.11.11 प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन बिहार पटना के पत्रांक 8997 दिनांक 26.11.11 एवं जिला अवर निबंधक मधेपुरा का पत्रांक 437 दिनांक 2.12.11 तथा चयन समिति की बैठक दिनांक 05.08.11 को लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) के रिक्त पद पर निम्न शर्त्तों के अधीन नियोजित किया जाता है :-

क्रमांक	आई0 डी0 नं0	नियोजित अभ्यर्थी का नाम /पता
01.	00623	रंजीत कुमार जयसवाल पिता– विनय कु0 जयसवाल ग्राम– चौसा खोखन टोला, पो+थाना– चौसा, जिला– मधेपुरा
02.	00221	सुनील कुमार पिता– नारायण प्र0 यादव महर्षि मेंहीं नगर,, वार्ड नं0– 5 मधेपुरा, जिला– मधेपुरा
03.	00094	विधानन्द कुमार पिता– खट्टर प्र0 यादव ग्राम+पो0– कोरिहाड़,, थाना– गम्हरिया, जिला– मधेपुरा
04	00002	सुषमा कुमारी पिता– सुधीर कु0 यादव ग्राम– केवटगामा, पो0– चण्डीस्थान थाना– कुमारखंड, जिला– मधेपुरा
05.	00118	मनोज कुमार पिता– नागेन्द्र कुमार ग्रांम– झिटकिया, पो0– चतरा, प्रखंड– ग्वालपाड़ा, जिला– मधेपुरा
06.	00080	राजनंदन शर्मा पिता– स्व0 अनन्दी शर्मा ग्राम+पो0– मंजौरा, थाना– बिहारीगंज, जिला– मधेपुरा
07.	00323	नितेश कुमार पिता– शत्रुघ्न प्रसाद ए टाईप सरकारी बिलडिंग (चिल्ड्रेन पार्क के नजदीक) वार्ड नं0– 16, जिला– मधेपुरा।
08.	00066	शिल्पा पिता– राजकिशोर प्र0 दास जय प्रकाश नगर वार्ड नं0– 6 मधेपुरा, जिला– मधेपुरा।

09.	01087	वैभव विकास पिता– अशोक कुमार ठाकुर ग्राम+पो0– भागीपुर, भाया– आलमनगर, जिला– मधेपुरा।
10.	01153	अमीत कुमार पिता– चन्देश्वरी महतो विधापुरी मोहल्ला वार्ड नं0– 18मधेपुरा. जिला– मधेपुरा
11.	00026	संजय कु0 सौरभ पिता– नन्दलाल यादव ग्राम+पो0– निपनिया थाना– बडहरा कोठी, जिला– पूर्णिया
12.	01169	चंदन कुमार पिता– कृत ना0 यादव ग्राम– विधापुरी मोहल्ला वार्ड नं0–18 सेन्ट्रल बैंक मधेपुरा।

शर्त्त

01. आपका नियोजन बिल्कूल ही अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
02. आपका नियोजन संविदा के आधार पर की गई है अतएव मानदेय का भुगतान सरकार से स्वीकृत मानदेय मो0 7000/– (सात हजार) रूपया प्रति माह की दर से किया जाएगा।
03. सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में उक्त मानदेय की राशि घटाया– बढ़ाया जा सकता है।
04 नियोजन की कार्यविधि अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए होगी एव आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी।
05 योगदान के समय आपको अपने साथ निम्न हार्डवेयर होना अनिवार्य होगा, अन्यथा योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
    (क) एक डेस्कटॉप (ख) एक प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाइट)
    (ग) एक यू0 पी0 एस0 (घ) इन्टरनेट कनेक्शन
06. कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी इसमें लगने वाली Comsumable Items (पेपर कार्टेज आदि) की आपूर्ति कार्यालय द्वारा की जाएगी।
07. Internet connection का Bill नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
08. आपका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर आपकी सेवा तत्तक्षण समाप्त कर दी जाएगी।
09. योगदान के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा– भत्ता देय नहीं होगा।
10. योगदान के समय सभी प्रमाण– पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण– प जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स अभिप्रमाणित) एवं मूल प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
11. आपको निदेश दिया जाता है कि दिनांक 15.12.11 तक अपना योगदान जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा में अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे/ निर्धारित तिथि के बाद योगदान नहीं लिया जाएगा एवं आपके दावे को रद्द कर दिया जाएगा।
12. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जाएगा।
13. इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

जिला पदाधिकारी
एवं समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

13

ज्ञापांक -588-2 /स्था0, दिनांक 08.12.2011

प्रतिलिपि:– अपर मिशन निदेशक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि:– आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उप विकास आयुक्त मधेपुरा / अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / आई0 टी0 प्रबंधक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी नवनियोजित कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
एवं समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

Annexure-2 Series

पत्रांक 28 दिनांक 3/2/12

प्रेषक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवेक्षीय पदाधिकारी
धान अधिप्राप्ति केन्द्र, शंकरपुर।

सेवा में,
प्रबन्धक महोदय
~~बिहार~~ राज्य खाद्य निगम
मधेपुरा।

विषय :- धान उठाव के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि अभी धान अधिप्राप्ति केन्द्र शंकरपुर द्वारा कुल 2787.81 क्वि० धान प्राप्त किया गया है। जिसमें मात्र 820.66 क्वि० धान का उठाव हुआ है। शेष कुल 1966.?? क्वि० धान पैक्स (गोदाम) में रखा हुआ है। गोदाम का [illegible] भरा हुआ है। साथ ही साथ धूप आदि से प्रक्षेप होने की संभावना बढ़ गयी है। किसानों का और धान खरीदना भी बाकी है। पैक्स का धान भी गोदाम में रखना है। गोदाम खाली नहीं रहने के कारण किसान प्रतिदिन क्रय केन्द्र से लौट जाते हैं। पैक्स अध्यक्ष भी आवेदित [illegible] गोदाम खाली नहीं रहने कारण केन्द्र से लौट जाते हैं।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि जल्द से जल्द धान की उठाव सीआर निर्गत की व्यवस्था करने की कृपा की जाय। ताकि पैक्स एवं किसानों के धान का क्रय हो सके। धान भी सुरक्षित गंतव्य स्थल चला जाए।

3-2-12

विश्वासभाजन

(signature) 3/02/12
प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवेक्षीय पदाधिकारी
शंकरपुर
धान क्रय केन्द्र शंकरपुर

प्रतिलिपि
(1) अंचल अधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी धान क्रय केन्द्र शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।
(2) प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर को सादर सूचनार्थ भी प्रेषित।

3.2.12

3/2/12

7.6

पत्रांक 28 दिनांक 3.2.12

प्रेषक,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी
धान अधिप्राप्ति केन्द्र, शंकरपुर

सेवा में,

प्रबन्धक महोदय
बिहार राज्य खाद्य निगम
मधेपुरा।

विषय : धान उठाव के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि अधी धान अधिप्राप्ति केन्द्र शंकरपुर द्वारा कुल 2787.90 Kg धान क्रय किया गया है। जिसमें मात्र 820.65 Kg धान भंडार (गोदाम) में रखा हुआ है। गोदाम का टुटा फुटा हुआ है। साथ ही साथ चूहा आदि का प्रकोप होने की संभावना बढ़ गयी है। किसानों का और धान खरीदना भी बाकी है। पैक्स का धान भी गोदाम में रखना है। गोदाम खाली नहीं रहने के कारण किसान प्रतिदिन क्रय केन्द्र से लौट जाते हैं। पैक्स अध्यक्ष भी प्रतिदिन गोदाम खाली नहीं रहने कारण केन्द्र से लौट जाते हैं।

अत: श्री मान से अनुरोध है कि जल्द से जल्द धान को राइस मील भेजने की व्यवस्था करने की कृपा की जाय। ताकि पैक्स एवं किसानों के धान का क्रय कर सके। धान भी ससुरक्षित राईस मील चला जाय।

विश्वासभाजन
02.02.12
प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी शंकरपुर
धान क्रय केन्द्र शंकरपुर

प्रतिलिपि

(1) अंचल अधिकारी सह पर्यवतन पदा. धान क्रय केन्द्र शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित। प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पत्रांक 30 दिनांक 10/02/12

प्रेषक

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवेक्षीय पदाधिकारी
धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक महोदय
राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा।

विषय: धान उठाव के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है धान क्रय केन्द्र शंकरपुर द्वारा किसान से कुल - 4040.00 क्विंटल, पैक्स से - 484.80 क्विंटल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार किसान एवं पैक्स से कुल धान - 4524.80 क्विंटल प्राप्त हुआ है। चिन्हित मिल द्वारा अभी तक मात्र - 1213.90 क्विंटल ही उठाव हुआ है। शेष भंडार में कुल - 3310.90 बचा हुआ है।

ज्ञातव्य हो कि अभी धान गोदाम में एवं क्रय केन्द्र भवन भी धान से पूर्ण भरा हुआ है। गोदाम पूर्ण भरे रहने के कारण किसानों के धान का क्रय और अधिक हो जाने के कारण धान अभी क्रय केन्द्र के गोदाम के बाहर नीचे में पलास्टिक बिछा कर रखा गया है, [illegible] और वर्षा का प्रकोप होने की संभावना बना रहता है। धान सुरक्षा हेतु कोई प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है।

अत: अनुरोध है कि जल्द से जल्द धान क्रय केन्द्र शंकरपुर से धान का उठाव करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
[signature: illegible] 10/2/12
प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवेक्षीय पदाधिकारी
धान क्रय केन्द्र
शंकरपुर

प्रतिलिपि

(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।

(ii) अंचलाधिकारी सह पर्यवेक्षीय पदा० पर्यवेक्षीय पदाधिकारी - धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।

(iii) अपर समाहर्ता मधेपुरा सह अनुमंडल [illegible] पदा० मधेपुरा / धान अधिप्राप्ति को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित

प्राप्त 10-2-12 C.O. office
Received 10/2/12 B.D.O office
14-2-12

T.C

पत्रांक 30. दिनांक 10.02.12

प्रेषक,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी
धान अधिप्राप्ति केन्द्र, शंकरपुर

सेवा में,

प्रबन्धक महोदय
बिहार राज्य खाद्य निगम
मधेपुरा।

विषय : धान उठाव के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर द्वारा किसान से कुल - 4040.00 क्विंटल, पैक्स से 484.80 क्विंटल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार किसान एवं पैक्स से कुल धान 4524.80 क्विंटल प्राप्त हुआ है। विभिन्न मिल द्वारा अभी तक मात्र 1213.90 क्विंटल ही उठाव हुआ है। शेष भंडारण में कुल - 3310.90 बचा हुआ है।

ज्ञातव्य है कि अभी थाना गोदाम में एवं क्रय केन्द्र भंडार भी धान से पूर्ण भरा हुआ है। गोदाम पूर्ण भरे रहने के कारण किसानों के धान का क्रय और अधिक हो जाने के कारण धान अभी क्रय केन्द्र के गोदाम के बाहर नीचे में प्लासटिक बिछाकर रखा गया है। चूहा और वर्षा का प्रकोप होने की संभावना बना रहता है। धान सुरक्षा हेतु कोई प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है।

अत: अनुरोध है कि जल्द से जल्द धान क्रय केन्द्र शंकरपुर से धान का उठाव करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/अस्पस्ट
10.02.12
प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रखंड
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी शंकरपुर
धान क्रय केन्द्र शंकरपुर

<u>प्रतिलिपि</u>

(1) प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।

(II) अंचलाधिकारी सह पर्यवक्षण पदा. धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित

(III) अपर समाहर्ता मधेपुरा सह अनुमंडल वरीय पदा. मधेपुरा (धान अधिप्राप्ति) को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।

पत्रांक 34 , दिनांक 24/02/12

प्रेषक,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी

सह

पर्यवेक्षीय पदाधिकारी

धान क्रय केन्द्र, ओंकारपुर ।

सेवा में

प्रबन्धक महोदय

बिहार राज्य खाद्य निगम

मधेपुरा ।

विषय :- धान उठाव के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में आदर सूचित करना है कि दिनांक 23/02/12 तक धान क्रय केन्द्र ओंकारपुर के द्वारा किसान से 5278.40 एवं पैक्स से 1379.60 धान प्राप्त हुआ है। अभी तक मात्र 1213.90 क्विंटल धान का उठाव हुआ है शेष 4064.50 क्विंटल धान गोदाम एवं खुले आकाश में क्रय केन्द्र कम्पस में रखा हुआ है धान सुरक्षा हेतु रात के लिए कोई चौकीदार एवं सुरक्षाकर्मी [illegible] किसी वरीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है

ज्ञातव्य हो कि पछिया हवा चल रही है जिससे चावल बनाने पर टूटा भ्रम पड़ सकता है साथ ही साथ वर्षा होने की भी संभावना बनी रहती है जिससे भय बना रहता है

अतः श्रीमान से आदर अनुरोध है कि धान क्रय केन्द्र, ओंकारपुर से धान उठाव कर राईस मिल भेजने की कृपा की जाय । ताकि धान, धूप एवं वर्षा से [illegible] सुरक्षित रह सके एवं बच सके ।

प्रतिलिपि

(1) प्रखंड विकास पदाधिकारी ओंकारपुर को आदर सूचनार्थ एवं प्रेषित ।

(2) अंचलाधिकारी सह प्रभारी पदा० धान क्रय केन्द्र, ओंकारपुर को आदर सूचनार्थ एवं प्रेषित ।

विश्वासभाजन

24/02/12

प्रखंड कृषि पदाधिकारी

सह

पर्यवेक्षीय पदा०

धान क्रय केन्द्र,

ओंकारपुर ।

T. C

पत्रांक 34 दिनांक 24.02.12

प्रेषक,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी
धान अधिप्राप्ति केन्द्र, शंकरपुर

सेवा में,

प्रबन्धक महोदय
बिहार राज्य खाद्य निगम
मधेपुरा।

विषय : धान उठाव के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि 23.02.12 तक धान क्रय केन्द्र शंकरपुर के भरा किसान से 5278.40 एवं पैक्स से 1379.60 धान प्राप्ति हुआ है। अभी तक मात्र 1213.90 क्विंटल धान का उठाव हुआ है। शेष 4064.50 क्विंटल धान गोदाम एवं खुले आकाश में क्रय केन्द्र कम्पस में रखा हुआ है। धान सुरक्षा हेतु रात के लिए कोई चौकीदार एवं सुरक्षा की हेतु अभी किसी वरीय पदाधिकारी इस प्रतिनियुक्ति व्यवस्था नहीं किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि पछिया हवा बढ़ रही है। जिससे चावल बनाने पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ वर्षा होने की भी संभावना बनी रहती है जिससे भय बना रहता है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि धान क्रय, शंकरपुर से धान उठाव कर राईस मिल भेजने की कृपा की जाय। ताकि धान, चूहा, धूप एवं वर्षा से पूर्ण खपत सुरक्ष्ज्ञित रह सके एवं बच सके।

विश्वासभाजन
ह०/अस्पस्ट
10.02.12
प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रखंड
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी शंकरपुर
धान क्रय केन्द्र शंकरपुर

प्रतिलिपि

(1) प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।

(II) अंचलाधिकारी सह पर्यवक्षण पदा. धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित

(17)

कार्यालय प्रखंड कृषि पदाधिकारी, शंकरपुर।
पत्रांक 25 / दिनांक 25/03/13

प्रेषक,
प्रखंड कृषि पदाधिकारी,
शंकरपुर।

सेवा में,
प्रभारी सहायक जिला प्रबन्धक
राज्य खाद्य निगम,
मधेपुरा।

विषय :- वर्ष - 2011-12 प्र.खंड शंकरपुर के धान क्रय केन्द्र पर बचे शेष धान के उठाव के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि धान क्रय केन्द्र शंकरपुर, वर्ष - 2011-12 शेष बचे 1345.01 क्विंटल धान में से मात्र 280.00 (क्विंटल) धान का उठाव दिनांक - 07/03/13 को किया गया है। शेष धान भी आपके द्वारा शीघ्र उठाव किया गया है। शेष धान क्रय केन्द्र के परिसर में ... आगे खुले आसमान में रखा हुआ है। शेष बचा धान जिसका उठाव करना है उसकी वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।

अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि जल्द-से जल्द धान की उठाव की व्यवस्था करने की कृपा की जाय। साथ ही साथ जबतक शेष धान का उठाव नहीं होता है तब तक अपने स्तर से धान की सुरक्षा हेतु (रात्री) के लिए रात्री प्रहरी के रूप किसी को रखने की व्यवस्था की जाय। ताकि सरकार को धान का सुरक्षित हो सके।

(हस्ताक्षर) 25/3/13

AS
25-3-13

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 25/03/13
प्रखंड कृषि पदाधिकारी
शंकरपुर।

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी ... सूचनार्थ एवं प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी शंकरपुर को सूचनार्थ एवं प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।
प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।
प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

T-C

कार्यालय प्रखंड कृषि पदाधिकारी, शंकरपुर

पत्रांक 25 / दिनांक 25.03.13

प्रेषक

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
शंकरपुर

सेवा में,

प्रभारी सहायक जिला प्रबन्धक
राज्य खाद्यय निगम
मधेपुरा

विषय : वर्ष 2011-12 प्रखंड शंकरपुर के धान क्रय केन्द्र पर बचे शेष धान के उठाव के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि धान क्रय केन्द्र शंकरपुर वर्ष 2011-12 शेष बचे 1345.04 क्विंटल धान में से मात्र 280.00 (क्विंटल) धान का उठाव दिनांक 07.03.13 को किया गया है। शेष धान जो आपके द्वारा थ्रेसिंग (साफ किय गया है। वह धान क्रय केन्द्र के परिसर गोदाम) के आगे खुले 'आसमान में रखा हुआ है। शेष बचे धान जिसका उठाव कराना है उसकी वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।

अत: श्रीमान से सादर अनुरोध है कि जल्द से जल्द धान की उठाव की व्यवस्था करने की कृपा की जाय। साथ ही साथ जब तक शेष धान का उठाव नहीं होता है तब तक अपने स्तर से धान की सुरक्षा हेतु (रात्री) के लिए रत्री प्रहरी के साथ किसी को रखने की व्यवस्था की जाय। ताकि सरकार की धान सुरक्षित रह सके।

विश्वासभाजन
ह०/अस्पस्ट
25.03.13
प्रखंड विकास पदाधिकारी
शंकरपुर

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचलाधिकारी, शंकरपुर को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित

प्रतिलिपि : जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित

18

पत्रांक 52 दिनांक 10/04/12

प्रेषक,
प्रखंड कृषि पदाधिकारी
शंकरपुर ।

सेवा में,
प्रबन्धक महोदय
राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा ।

विषय :- धान क्रय केन्द्र शंकरपुर से धान उठाव के सम्बन्ध में ।

महाशय,
उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपको सूचित करना है कि धान क्रय केन्द्र शंकरपुर के द्वारा किसान से - 11549.75 पैक्स से - 3841.97 कुल - 15391.72 (पन्द्रह हजार तीन सौ एकानवे क्विंटल बहत्तर कि०ग्राम) धान क्रय किया गया है। जिसमें कि 12352.20kg धान खुले आसमान में रखा हुआ है। लगभग - 1652.50 ही धान अभी तक उठाव हुआ है।

ज्ञातव्य हो कि प्रतिदिन आँधी, वर्षा एवं पत्थर का प्रकोप बढ़ गया है। धान के ऊपर प्लास्टिक ढका हुआ है। आँधी तूफान आने के बाद प्लास्टिक को भी उड़ा देता है। वर्षा का पानी धीरे-धीरे धान के भीतर घुसने की संभावना बढ़ गयी है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि जल्द से जल्द से धान क्रय केन्द्र शंकरपुर से धान उठाव करवाने की कृपा की जाय ताकि धान वर्षा, पत्थर आदि से बच सके। साथ ही साथ सरकार को करोड़ों रुपये की नुकसान नहीं हो सके।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 10/04/12
प्रखंड कृषि पदा० (बि०कृ०)
शंकरपुर ।

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदा० शंकरपुर को सूचनार्थ एवं समर्पित ।
प्रतिलिपि - अंचल पदाधिकारी शंकरपुर को सूचनार्थ एवं समर्पित ।
प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं समर्पित ।
प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित ।
प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित ।

(हस्ताक्षर) 10/04/12
प्रखंड कृषि पदा०
शंकरपुर

(हस्ताक्षर) 10-4-12
(हस्ताक्षर) 11/4/12

पत्रांक 52 दिनांक 10.04.12

प्रेषक,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
शंकरपुर

सेवा में,

प्रबन्धक महोदय
बिहार राज्य खाद्य निगम
मधेपुरा।

विषय : धान क्रय केन्द्र शंकरपुर से धान उठाव के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर द्वारा किसान से - 11549.75 पैक्स से - 3841.97 कुल - 15391.72 (पन्द्रह हजार तीन सौ एकानवें क्विंटल बहत्तर कि.ग्रा.) धान क्रय किया गया है। जिसमें कि 12352.20 Kg धान खुले असमान में रखा हुआ है। लगभग - 1652.50 ही धान अभी तक उठाव हुआ है।

ज्ञातव्य है कि प्रतिदिन आंधी, वर्षा एवं पत्थर का प्रकोप बढ़ गया है। धान के ऊपर प्लास्टिक दिया हुआ है। आंधी तूफान आने के बाद प्लास्टिक को भी हटा देता है। वर्षा का पानी धीरे-धीरे धान के भीतर घुसने की संभावना बढ़ गयी है।

अत: श्रीमान से अनुरोध है कि जल्द से जल्द धान क्रय केन्द्र शंकरपुर से धान उठाव करवाने की कृपा की जाय ताकि धान, वर्षा, पत्थर आदि से बच सके। साथ ही साथ सरकार की करोड़ो रुपये की नुकसान नहीं हो सके।

विश्वासभाजन
ह०/अस्पस्ट
10.04.12
प्रखंड कृषि पदाधिकारी
शंकरपुर

प्रतिलिपि

प्रतिलिपि - प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।
प्रतिलिपि - अंचल पदाधिकारी शंकरपुर को सूचनार्थ एवं समर्पित
प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं समर्पित
प्रतिलिपि - जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित
प्रतिलिपि - जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित

19

पत्रांक 50 दिनांक 5/4/12

प्रेषक,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी
धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर।

सेवा में,

प्रबंधक महोदय,
बिहार राज्य खाद्य निगम,
मधेपुरा।

विषय :-धान क्रय केन्द्र शंकरपुर से धान उठाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि दिनांक 04/04/12 तक धान क्रय केन्द्र शंकरपुर द्वारा कुल 15,092.92 क्विंटल क्रय किया गया है जिसमें लगभग 12,000 क्विंटल धान खुले आसमान में रखा हुआ है। प्रतिदिन आंधी, तुफान एवं वर्षा की आने की संभावना बनी रहती है। अगर एकाएक वर्षा हो जाती है तो सरकार की करोड़ों की सम्पत्ती का नुकसान हो सकता है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर से खुले आसमान में रखा हुआ धान की उठाव जल्द से जल्द करवाने की कृपा की जाय ताकि धान की गुणवत्ता समाप्त नहीं हो।

विश्वासभाजन,

5/4/12

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी
धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदा० शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी सह प्रर्यतन पदा० धान क्रय केन्द्र शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं ~~प्रेषित~~। समर्पित ।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं ~~प्रेषित~~ समर्पित ।

प्रतिलिपि :- अपर समहर्त्ता, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं ~~प्रेषित~~ समर्पित ।

5/4/12

प्रखंड कृषि पदाधिकारी,
शंकरपुर

S.F.C office
7/4/12 D.M office
7/4/12 S.D.O office
7.4.12 C office
7/4/12

T.C

पत्रांक 50 / दिनांक 5.4.12

प्रेषक,
प्रखंड कृषि पदाधिकारी
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी
धान क्रय केन्द्र, शकरपुर।

सेवा में,
प्रबंधक महोदय,
बिहार राज्य खाद्य निगम,
मधेपुरा।

विषय : धान क्रय केन्द्र शंकरपुर से धान उठाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि दिनांक 04.04.12 तक धान क्रय केन्द्र शंकरपुर द्वारा कुल 15,092.92 क्विंटल क्रय किया गया है जिसमें लगभग 12,000 क्विंटल धान खुले आसमान में रखा हुआ है। प्रतिदिन आंधी, तुफान एवं वर्षा की आने की संभावना बनी रहती है। अगर एकाएक वर्षा हो जाती है तो सरकार की करोड़ों की सम्पत्ती का नुकसान हो सकता है।

अत: श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर से खुले आसमान में रखा हुआ धान की उठाव जल्द से जल्द करवाने की कृपा की जाय ताकि धान की गुणवक्ता समाप्त नहीं हो।

विश्वासभाजन,
ह०/अस्पस्ट
05.04.12
सह
पर्यवक्षीय पदाधिकारी
धान क्रय केन्द्र, शंकरपुर

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदा. शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी सह प्रर्यतन पदा. धान क्रय केन्द्र शंकरपुर को सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।
प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।
प्रतिलिपि :- अपर समहर्त्ता, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

ह०/अस्पस्ट
5.4.12
प्रखंड कृषि पदाधिकारी
शंकरपुर

Annexure-3 (20)

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0:

सोन भवन: वीर चन्द पटेल पथ:पटना:1

पत्रांक –6:04:39:1:2012– 287 दिनांक– 12.1.13

प्रेषित,

श्री नितेश कुमार, कार्यपालक सहायक,
धान कय केन्द,राज्य खाद्य निगम,
शंकरपुर,मधेपुरा।

विषय: **खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत कय किये गये धान में से 1345.04 क्विंटल धान गबन किये जाने के कारण निगम को हुई क्षति की राशि 17,15,044.00 रूपये निगम खाते में जमा करने के सबंध में ।**

महाशय,

आपकी प्रतिनियुक्ति खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति के तहत् धान कय करने के लिए जिला पदाधिकारी,मधेपुरा द्वारा राज्य खाद्य निगम के शंकरपुर,धान कय केन्द्र,पर किया गया था। कय किये गये कुल धान में से 1345.04 क्विंटल धान भण्डार में कम पाये गये जो आपके द्वारा श्री ओम प्रकाश भारती,प्र0 कृ0 पदा0 के साथ मिलकर अपने स्वार्थ के लिए गबन कर लिया गया हैं। फलस्वरूप निगम को कुल 17,15,044.00 रूपये की क्षति हुई हैं । उक्त क्षति राशि निगम खाते में 15 दिनों के अन्दर जमा करने का निदेश प्रभारी सहायक जिला प्रबंधक मधेपुरा द्वारा आपको दिया गया है, परन्तु उक्त क्षति/गबन की राशि जमा किया गया अथवा नहीं इसकी सूचना अप्राप्त है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त क्षति/गबन की राशि निगम खाते में जमा नहीं किये हो तो दिनांक 20.01.13 तक निश्चित रूप से निगम खाते में जमा कर दें,तथा यह स्पष्ट करें कि धान गबन करने के आरोप में आपके बिरूद्व प्रशासनिक / कानुनी कार्रवाई के साथ–साथ क्षति राशि पर निगम मापदण्ड के अनुसार सूद की वसूली क्यों नहीं किया जाय। आपका स्पष्टीकरण 20.01.2013 तक निगम मुख्यालय में प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जायेगा कि प्रभारी सहायक जिला प्रबंधक मधेपुरा द्वारा लगाये गये उक्त आरोप को आप स्वीकार करते हैं। तदनुसार आपके बिरूद्व प्रशासनिक एवं कानुनी कार्रवाई करने के लिए प्रबंध निदेशक का आदेश प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

(हस्ताक्षर)
उप प्रमुख दावा।

AMC 8-1-13

Annexure-C

(21)

सेवा में,

उप प्रमुख दावा,

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि0

सोन भवन वीरचन्द पटेल पथ पटना – 1

प्रसंग :- भवदीय के पत्रांक 6:04:39:1:2012-287 दिनांक 12.01.13

विषय :- **खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत क्रय किये गये धान में से 1345.04 क्विंटल धान गबन से हुई क्षति की राशि 17,15,044.00 रूपये एवं ततसम्बधित क्षति राशि निगम खाते में 15 दिनों के अन्दर जमा करने सम्बन्धी भवदीय के पत्र एवं ततसम्बन्धी स्पष्टीकरण।**

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं कार्यपालक सहायक धान क्रय केन्द्र खाद्य निगम शंकरपुर मधेपुरा केन्द्र पर माननीय जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 12/12/2011 को पदभार ग्रहण किया हूँ एवं शंकरपुर में धान का क्रय दिनांक 28/12/2011 से 12/04/2012 तक खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत किसान से 11574.15 क्विंटल एवं पेक्स से3923.62 क्विंटल कुल वजन धान 15497.77 क्विंटल खरीद किया हूँ। किसानों को तत्संबंधीत राशि का भूगतान बैंक ऑफ इण्डिया के चेक से किया गया है एवं चेक पावती संबंधित प्रमाण अभिलेख में प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर से संचित है एवं इसकी जाँच किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जा सकती है।

यह कि शंकरपुर में भंडारण की समुचित सुविधा नहीं है अस्तु भंडार में लगभग 650 क्विंटल धान क्रय कर रखा गया उसके अतिरिक्त वैकल्पिक रूप से क्रय किये शेष धान को परिसर के खुले मैदान में रखा गया जो धुप, वर्षा, शीत, चुहा इत्यादि से प्रभावित रहा वावजूद इसके सरकारी राशि से प्लास्टीक त्रिपाल इत्यादि से सुरक्षा प्रदान की गई, परन्तु क्षरण होता रहा।. क्षरण होने के कारण हजारों बोरों की क्षति हो गई।

यह कि रख रखाव की उचित व्यवस्था के अभाव में मैंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश भारती को समुचित व्यवस्था एवं धान उठाव हेतु अग्रेतर कार्रवाई का निवेदन किया।

यह कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने पत्रांक 69 दिनांक 02/01/12 के द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा पुनः पत्रांक 28 दिनांक 03/02/12, पत्रांक 30 दिनांक 10/02/12, पत्रांक 34 दिनांक 24/02/12, पत्रांक 37 दिनांक 10/03/12, पत्रांक 50 दिनांक 05/04/12, पत्रांक 52 दिनांक 10/04/12, पत्रांक 63 दिनांक 19/04/12, पत्रांक 64 दिनांक 19/04/12, पत्रांक 68 दिनांक 08/05/12, पत्रांक 73 दिनांक 21/05/12, पत्रांक 74 दिनांक 21/05/12, पत्रांक 75 दिनांक 21/05/12, पत्रांक 127 दिनांक 16/10/12, पत्रांक 140, 141, 142, 143 दिनांक 31/12/12 को पद सोपान के विभिन्न पदाधिकारी प्रखंड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर को धान क्रय केन्द्र शंकरपुर से धान उठाव के संबंध में निवेदन किया। परन्तु सम्पूर्ण रूप से क्रय किया गया धान अद्यतन उठाव नहीं हुआ है। विभिन्न पदाधिकारीयों को प्रेषित उपर्युक्त विवरणी की पत्रांक एवं दिनांक की कार्बन कॉपी अद्यतन कार्यालय में उपलब्ध है।

यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि विभिन्न तिथियों में यथा 14/01/12 से 14/07/12 तक कुल 14152.73 क्विं0 धान का उठाव हो सका है। उठाव संबंधित तथ्य विवरणी भी कार्यालय में उपलब्ध है। बकिया धान 1345.04 क्विं0 जिसके गबन का आरोप आयद है अभी भी धान क्रय केन्द्र शंकरपुर, मधेपुरा में उपलब्ध है एवं किसी भी समय उक्त धान का उठाव किया जा सकता है। परन्तु सादर निवेदन है कि रखे गये धान जिसका सम्पर्क भूमितल से है का आनसिक सड़ाव (Decy and Decompose) प्रारंभ हो चुका है और बितते समय के साथ स्थिति बत्तर होती जा रही है एवं चुहा इत्यादि का भी प्रकोप कमशः बढ रहा है।

यह कि जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम मधेपुरा के ज्ञापांक 89 दिनांक 11/01/13 को भंडारित धान को मिलिंग कराने के लिए मिलों को निर्गत कर देने का निदेश है। जिससे उनके उपर जो Shortage है उसमें कमी आवेगी, विदित हो कि धान क्रय केन्द्र में यदि धान का भंडारण नही रहा होता तो इस प्रकार के पत्र नहीं निर्गत किये जाते।

जहाँ तक अभियोग है कि क्रय किये गये कुल धान में से 1345.04 क्विं0 धान भंडारण में कम पाया गया बिल्कुल ही सत्य के विपरित है एवं दुराग्रह से ग्रसित है।

यह कि मेरे उपर्युक्त कथनों की जाँच किसी भी समय की जा सकती है एवं भंडारण में कथित कमी यथा 1345.04 क्विं0 धान क्रय केन्द्र शंकरपुर में क्षरित होते देखा जा सकता है।

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि गबन के आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय एवं धान के उठाव की तत्काल व्यवस्था करवाने की कृपा की जाय ताकि क्षरण एवं Shortage को रोका जा सके।

विश्वासभाजन,

Nitesh Kumar

धान क्रय केन्द्र,

भारतीय [illegible] निगम, शंकरपुर,

मधेपुरा।

अनुलग्नक :

गोदाम में धान भंडारण की तीन फोटो।

RL MADHEPURA MDG <852113>
A RF106688865IIN
Counter No:1,OP-Code:MPCM
To:UP PRAMUKH BIHAR,STATE FOOD & CIVIL
Patna G.P.O., PIN:800001

Wt:17grams,
Amt:22.00 , 07/02/2013 , 10:47

Annexure 5

(22)

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 :
सोन भवनः वीरचन्द पटेल पथःपटनाः 1

पत्रांक–6:04:24:01:12– दिनांक–

प्रेषक,

उप प्रमुख दावा,
मुख्यालय,पटना ।

सेवा में,

प्रभारी सहायक जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
मधेपुरा।

विषयः **वर्ष 2011–12 में शंकरपुर धान क्रय केन्द्र में धान की पाई गई कमी के संदर्भ में मन्तब्य के सबंध में ।**

प्रसंगः आपका ज्ञापांक 1332 दिनांक 23.11.12 एवं मुख्यालय ज्ञापांक 1067 दिनांक 04.02.13

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी–सह–पर्यवेक्षीय पदाधिकारी,धान क्रय केन्द्र शंकरपुर का पत्रांक 145 दिनांक 31.12.2012 की छाया प्रति अनुलग्नकों सहित संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि शंकरपुर धान क्रय केन्द्र में वर्ष 2011–12 का 1345.04 क्विं0 धान अभी भी उठाव हेतु रख हुआ है जो उठाव नहीं होने के कारण सड़ने की स्थिति में हैं । अनुलग्नक के रूप में संलग्न उनके अन्य पत्रों से स्पष्ट होता है कि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी –सह–पर्यवेक्षीय पदाधिकारी शंकरपुर द्वारा धान उठाव कराने हेतु कई बार आपसे लिखित अनुरोध किया गया हैं । उन्होंने अपने उक्त पत्र के साथ तीन फोटोग्राफ भी सलग्न किया है जिसकी भी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न हैं ।

उल्लखय है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा श्री ओम प्रकाश भारती प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी शंकरपुर को इस संदर्भ में राशि जमा करने एवं स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

अतः निदेश है कि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी –सह–पर्यवेक्षीय पदाधिकारी शंकरपुर धान क्रय केन्द्र के संलग्न पत्रों पर आप अपना स्पष्ट मन्तब्य तुरंत अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें । यदि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी–सह–पर्यवेक्षीय पदाधिकारी शंकरपुर धान क्रय केन्द्र का कथन सही है,तो यह स्पष्ट करें कि अब तक धान का उठाव नहीं कराने एवं उसे सड़ने की स्थिति में लाने के लिये जिम्मेवार कौन हैं ।

अनुलग्नक :– यथा वर्णित

विश्वासभाजन,
ह0/–
उप प्रमुख दावा ।

AMC 14-2-13

ज्ञापांक– 1621 दिनांक– 14.2.13

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी मधेपुरा / जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप प्रमुख दावा ।

14/2/13

T-C

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि.
सोन भवन : वीरचन्द पटेल पथ, पटना-1

पत्रांक - 6:04:24:01:12- दिनांक-

प्रेषक,

उप प्रमुख दावा,
मुख्यालय खाद्य निगम,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रभारी सहायक जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
मधेपुरा।

विषय : वर्ष 2011-12 में शंकरपुर धान क्रय केन्द्र में धान की पाई गई कमी के संदर्भ में मन्तब्य के संबंध में।

प्रसंग : आपका ज्ञापांक 1332 दिनांक 23.11.12 एवं मुख्यालय ज्ञापांक 1067 दिनांक 04.02.13

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी-सह-पर्यवेक्षीय पदाधिकारी, धान क्रय केन्द्र शंकरपुर का पत्रांक 145 दिनांक 31.12.2012 की छाया प्रति अनुलग्नकों सहित संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि शंकरपुर धान क्रय केन्द्र में वर्ष 2011-12 का 1345.04 क्विं धान अभी भी उठाव हेतु रख हुआ है जो उठाव नहीं होने के कारण सड़ने के स्थिति में है। अनुलग्नक के रूप में संलग्न उनके अन्य पत्रों से स्पष्ट होता है कि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी-सह-पर्यवेक्षीय पदाधिकारी शंकरपुर द्वारा धान उठाव कराने हेतु कई बार आपसे लिखित अनुरोध किया गया है। उन्होंने अपने उक्त पत्र के साथ तीन फोटोग्राफ भी संलग्न किया है जिसकी भी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

उल्लख्य है कि प्रांसगिक पत्रों द्वारा श्री ओम प्रकाश भारती प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी शंकरपुर को इस संदर्भ में राशि जमा करने एवं स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

अतः निदेश है कि प्रखंण्ड कृषि पदाधिकारी-सह-पर्यवेक्षीय पदाधिकारी शंकरपुर धान क्रय केन्द्र के संलग्न पत्रों पर आप अपना स्पष्ट मन्तव्य तुरंत अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें। यदि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी-सह-पर्यवेक्षीय पदाधिकारी शंकरपुर धान क्रय केन्द्र का कथन सही है, तो यह स्पष्ट करें कि अब तक धान का उठाव नहीं कराने एवं उसे सड़ने की स्थिति में लाने के लिये जिम्मेवार कौन हैं।

अनुलग्नक :- यथा ..

विश्वासभाजन
ह०/-
उप प्रमुख दावा

AMC 14-2-13
ज्ञापांक- 1671 दिनांक- 14.2.13

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी मधेपुरा/जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/अस्पस्ट
14.2.2013
उप प्रमुख दावा।

डी.पी.न 1536
13/11/13

Schedule xlv-Form N0- 52 H.
का फारम सं0 ६७ की

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लि0, मधेपुरा।

वाद सं0 29 2013-14

सर्टिफिकेट देनदार की नोटिस

देखिये दफा ७, बिहार वो उड़ीसा ऐक्ट नं0 ४ सन् १९१४ का ।

श्री निलेश कुमार (कार्यपालक सहायक) पे0 श्री

सर्टिफिकेट देनदार का नाम श्री ... प्र0 यादव ... कॉलनी

के नाम आपको इसकी रू0 से जनाया जाता है कि आप के ऊपर 3,77,097=00 ...

रूपये के लिए जो आपसे ... मधेपुरा

की बाबत पावना है बिहार और उड़ीसा के सरकारी मोतालवी के वसूल करने के ऐक्ट सन् १९१४

की दफा 7 की रू0 से एक सर्टिफिकेट आज़ के दिन मेरे ऑफिस में नत्थी किया गया

है । जो आपके ऊपर बताये हुए 3,77,097=00 रूपये देने की अपनी जिम्मेवारी को नकारते

है तो आप इस नोटिस को तामिल होने के तीस दिन के भीतर अपनी सारी जिम्मेवारी या उसके किसी

हिस्से को नकारती हुई एक दरखास्त दाखिल कर सकते है । तो आप ऊपर बताये हुए तीस दिन के भीतर

दरखास्त दाखिल करें या इस बात के लिए सबंबन दिखलाईएगा या पूरा सबब न दिखलाईए कि ऐसा

सर्टिफिकेट क्यों न जारी किया जाना चाहिए तो वह आपके

3,77,097=00 रूपये (रूपया मोतालवे

के और 4.50 रूपया वसूल करने के खर्च के लिए) मेरे ऑफिस में न दिया जाय को

कहे हुए एक्ट की शर्तो के मुताबिक जारी किया आपका अबतक बची हुई रकम इस तरह से न दी जाय

आपको इसकी रूपया से मना किया जाता है कि आप अपनी गैर मनसूबा जायदाद या उसके किसी

हिस्से को बिक्री दान बन्धक या और किसी को छिपाईएगा, हटाईएगा तो वह सर्टिफिकेट फौरन जारी

किया जायगा ।

ऊपर बताये हुए सर्टिफिकेट के एक परत उसके साथ नत्थी की जाती है । आप सर्टिफिकेट का नम्बर और

सन् लिखकर मनिऑडर के जरिये रूपया भेज सकते हैं। आज ता0 13

माह 11 सन् 2013 ई0।

उपस्थिति तिथि :- 10/12/13

जिला सर्टिफिकेट ऑफिसर
13/11/13 मधेपुरा

डी.बी.न. 1536/13.11.13
Schedule XIV-Form No. – 52H
ई० का फारम सं. 17 बी।

T-C

जिला प्रबंधक, बिहार स्टेट एण्ड सि.स. कॉरपोरेशन लि. मधेपुरा।

बनाम

श्री नीतेश कुमार (कार्यपालक सहायक) पे. श्री
शत्रुध्न प्र. यादव समाहरणालय कॉलनी, वार्ड नं. 6, मधेपुरा

वाद संख्या 29 / 2013-14

सर्टिफिकेट देनदार का नोटिस।

देखिए दफा 7, बिहार वो उड़ीसा ऐक्ट न. 4 सन् 1914 का।

सर्टिफिकेट देनदार का नाम श्री नितेश कुमार (कार्यपालक सहायक) पे. श्री शत्रुध्न प्र. यादव समाहरणालय कॉलनी, वार्ड नं. 6, मधेपुरा के नाम आपको इसकी रू से बचाया जाय। है कि आपके ऊपर 3,77,097.00 रुपये के लिये आपसे धान की क्षति राशि की बावत पावना है बिहार और उड़िसा के सरकारी मोतालबों के वसूल करने के ऐक्ट सन् 1914 की दफे 7 की रू से एक सर्टिफेकट आज के दिन मेरे ऑफिस में नत्थी किया गया है। जो आपके ऊपर बताये हुए 3,73,097.00 रुपये के देने की अपनी जिम्मेवारी या उसके किसी हिस्से को सकारती हुई एक दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। तो आप ऊपर बताये हुए तीस दिन के भीतर दरखास्त दाखिल न करें या इस बात के लिये सबब न दिखलाइएगा या पूरा सबब न दिखलाइए कि ऐसा सर्टिफिकेट क्यों न जारी किया जाना चाहिए तो वह आपके 3,77,097.00 रुपये मुतालबे के और 4=50 रुपया वसूल करने के खर्च के लिये) मेरे ऑफिस में न दिया जाने पर कहे हुए ऐक्ट की शर्तों के मुताबिक जारी किया जायेगा जबतक कही हुई रकम इस तरह से न दे दी जाय आपको इसकी रू से मना किया जाता है कि आप सम्पर्क गैर मनकूला जायदाद या उसके किसी हिस्से की बिक्री, दान, बन्धक या और किसी हक से अलग न करें। जो आप इस बीच में अपनी मनकूला जायदाद के किसी हिस्से को छिपाइयेगा, हटाइयेगा या बेचियेगा तो वह सर्टिफिकेट फौरन जारी किया जायेगा।

ऊपर बताये हुए सर्टिफिकेट की एक परत इसके साथ नत्थी की जाती है। आप सर्टिफिकेट का नम्बर और सन् लिख कर मनिआर्डर के जरिये रुपया भेज सकते हैं।

आज ता. 13 माह 11 सन् 2013 ई.।

ह०/अस्पस्ट
13.11

उपस्थिति तिथि : 10.12.13

जिला सर्टिफिकेट ऑफिसर